


276



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक

/2018 निगरानी

I/निगरानी/उत्तरपुर/भू/2018/0449

शासकीय महाविद्यालय, लवकुशानगर,
द्वारा प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय,
लवकुशानगर, तहसील लवकुशानगर, जिला

उत्तरपुर १००१

श्री. ~~अ. रा. जी~~ को
द्वारा आज दि. 15-1-18 को
प्रस्तुत! प्रारम्भिक पत्र हेतु
दिनांक 18-1-18 नियत।

--- निगरानीकर्ता/ आवेदनकर्ता
आवेदक
बनाम

राजकपूर तिवारी पुत्र स्व० श्री यतुरेश
तिवारी निवासी ग्राम टहनगा, तहसील
लवकुशानगर, जिला उत्तरपुर १००१

---- अनावेदक

आर. ए. रा. जी
एस. रा. जी
दि 15-1-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राज. संहिता 1959,

विरुद्ध आदेश दिनांक 17-11-2017 श्रीमान् तहसीलदार
महोदय तहसील लवकुशानगर, जिला उत्तरपुर १००१ के प्रकरण
क्रमांक 11/अ-12/17-18 में पारित की।

---0---

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

१। यह कि, भूमि आराजी खसरा नम्बर 619, 620,
621, 622 रकबा कुमशा: 1.060 हे०, 0.356 हे०
0.421 हे०, 0.408 हे० स्थित ग्राम लवकुशानगर, तह०
लवकुशानगर, जिला उत्तरपुर १००१ शासकीय महाविद्यालय
लवकुशानगर, जिला उत्तरपुर १००१ के स्वामित्व एवं
आधिपत्य की भूमि है। जिसमें महाविद्यालय में छात्र/
छात्राओं के पढ़ने हेतु भवन कार्यालयीन भवन तथा खेल का

१११

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 0449

शासकीय महाविद्यालय द्वारा लवकुशनगर विरुद्ध राजकपूर तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील लवकुशनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 05-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>